संख्या–क0नि0–4–778 /11–13–30(8)/2011

प्रेषक,

एस0एन0प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 16 जुलाई, 2013

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के सन्दर्भ में कार्यालय वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 के लिपिकीय संवर्ग के पदो के पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–क0नि0–4–1355/11–2011–30(8)/2011, दिनांक 31.10.2011, शासनादेश संख्या–क0नि0–4–1058/11–2012 30(8)/2011, दिनांक 09.10.2012 के कम में वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग के पत्र संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च,2011 एवं पत्र संख्या–वे0आ0–2–2105/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर,2011 के अनुसार लिपिक संवर्ग का संशोधित पुनर्गठन उक्त शासनादेश के आलोक में ऐसे वरिष्ठ सहायक जो पुनर्गठन के पूर्व वेतनमान रू0 4500–7000 के पर पर कार्यरत थे अर्थात कुल 117 वरिष्ठ सहायकों में से 31 वरिष्ठ सहायको को प्रधान सहायक (मुन्सरिम) पदनामित करते हुए वेतन बैण्ड–2 तथा ग्रेड वेतन 4200/– दिनांक 22.12.2011 से संशोधित किए जाने की नीचे अंकित तालिका के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य बेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	पदों की संख्या	नियुक्ति/पदोन्नति की प्रकिया
1	प्रधान सहायक (मुन्सरिम)	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200	31	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, वरिष्ठ सहायक के पदों से वरिष्ठता के आधार पर
2	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600	01	05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर

2. उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–59(एम)2008, दिनांक 24 दिसम्बर,2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3. चूंकि शासनादेश संख्या–क0नि0–4–1058/11–12–30(8)/2012, दिनांक 09.08.2012 द्वारा एक पद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में उच्चीकृत किया जा चुका है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधन के उपरान्त अब वरिष्ठ सहायक के 85 पद ही अवशेष रह जायेगें।

4. उक्त शासनादेश दिनांक 31.11.2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4499
17/07/13
N.D-I
निबंधक
17/07/13

5. उपरोक्त सेवा नियमावली में संशोधन कर लिया जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–467/दस–2013, दिनांक 02 जुलाई,2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(एस0एन0प्रसाद)
सचिव।

संख्या–क0नि0–4– (1)/11–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
4– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
5– कर एवं निबंधन अनुभाग–3
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या—क0नि0—4—1355/11—2011—30(8)/2011

प्रेषक,

चन्द्रभानु,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबंधन अनुभाग—4 लखनऊ::दिनांक 31/10/ नवम्बर, 2011

विषयः—वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्यालय, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश के लिपिकीय संवर्ग के पदो के पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग के पत्र संख्या—वे0आ0—2—401/दस—54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा संसूचित सामान्य निर्णय के क्रम में वाणिज्य कर अधिकरण कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के पुर्नगठन हेतु इस शासनादेश के संलग्न तालिका—1 के स्तम्भ—2,34 व 5 में उल्लिखित क्रमशः पदो के पदनाम, पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को संलग्न तालिका—2 के स्तम्भ—2 के अनुसार पदों के पदनाम, स्तम्भ—3 के अनुसार पदों की संख्या, स्तम्भ—4 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ—5 के अनुसार भर्ती की विधि/अर्हता को दिनांक 18.03.2011 से संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—841/दस—59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर,2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3. सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—वे0आ0—1—782/दस—2011, दिनांक 19,अक्टूबर,2011, में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्रभानु)
सचिव।

संख्या—क0नि0—4—1355(1)/11—2011—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—9
4— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1/2(तीन प्रतियों में)
5— कर एवं निबंधन अनुभाग—3
6— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एम0बी0सिंह)
अनुसचिव।

संख्या–क0नि0–4–1355/11–2011–30(8)/2011, दिनांक 31 अक्टूबर,2011 का संलग्नक

तालिका–1

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	
1	कनिष्ठ लिपिक	98	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200	1900
2	वरिष्ठ लिपिक	85	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200	2400
3	मुंसरिम/प्रधान लिपिक	32	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200	2800
4	कार्यालय अधीक्षक	01	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800	4200
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800	4200
	योग	217		

(एम0बी0सिंह)
अनुसचिव।

संख्या–क0नि0–4–1355/11–2011–30(8)/2011, दिनांक 31 अक्टूबर,2011 का संलग्नक

तालिका–2

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		भर्ती की विधि/अर्हता
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4		5
1	कनिष्ठ सहायक	98	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200	2000	80% पद सीधी भर्ती के माध्यम से। अर्हता– इण्टरमीडिएट के साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक(DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा " सरकार" द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 1. 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी ऐसे कार्मिको से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 2. 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिको से पदोन्नति द्वारा जो इण्टर मीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	117	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200	2800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से
3	प्रशासनिक अधिकारी	1	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800	4200	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800	4800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से
	योग	217			

(एम0बी0सिंह)
अनुसचिव।